



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शाके 1939—अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939—October 30, 2017

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग
अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या F16(1)RPG /2017 :—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु—1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

	25ए	टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राइट ऑफ वे और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।						
		(1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीगा देना।	10 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिमुख्य अभियन्ता	
		(2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिमुख्य अभियन्ता	

- (ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड (II) तथा उसके सामने कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित राशी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (Row) की आवश्यकता नहीं है।	(अ) समस्त एवं संपूर्ण दरतावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बंधित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (Row) की आवश्यकता नहीं है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दरतावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में					

- (iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

	65ए	राजस्थान आबकारी (होटल बार/खराब बार अनुज्ञापिता प्रदान) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रारुत करने की स्थिरता में होटल बार/खराब बार लाइसेंस जारी	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्युटर सिस्टम खराब होने की विधि में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा
--	-----	--	---------	---------------------------------	---	---	---	--

करना								
65वीं	राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापिया प्रदाय) नियम 2004 के अन्वयन समस्त औपचारिकतारं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में रेस्टोरेंट बार लाईसेंस जारी करना	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अंतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	-	-	सकेगी। तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, विजली आपूर्ति नहीं होने, कम्युटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा नियंत्रित सम्यावधि में उपलब्ध नहीं कराइ जा सकेगी।	"

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

		भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में						
	76के	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात लिन्थ लेवल तक निरीक्षण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिन	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण) / वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नियोजक (विकास प्राधिकरण) / संहायक नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा अधिकारी	नगर नगर नगर सुधार न्यास समकक्ष	सचिव (विकास प्राधिकरण) / नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
	76एल	कम्पलीशन / ओक्यूपैसी सर्टिफिकेट	8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्पलीशन / ओक्यूपैसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण) / वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नियोजक (विकास प्राधिकरण) / संहायक नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा अधिकारी	नगर नगर नगर सुधार न्यास समकक्ष	सचिव (विकास प्राधिकरण) / नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

108 ए	नाम हस्तान्तरण।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/लिपिक (संबंधित)	महापौर/समापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 बी	भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ लूपान्तरण/नियमन/आवंटन।	60 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अधियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर/वरिष्ठ	महापौर/समापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय

				(संबंधित)	प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजरव अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ		
108 सी	ग—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही।	60दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक सहायक अभियन्ता/ राजरव अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक • कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजरव अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजरव नियोजक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 डी	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 के तहत ले—आउट लान अनुमोदन।	45दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 ई	उप—विभाजन व पुनर्गठन	30 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक सहायक अभियन्ता/ राजरव अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक • कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजरव अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

					नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रालंपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)		
108 एफ	लीजडीड / पट्टा जारी किया जाना।	15 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रालंपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रालंपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रालंपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 जी	भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व. मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औद्योगिक)	15 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रालंपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रालंपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रालंपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग)	21 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रालंपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

				अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्गमी. से अधिक (समस्त उपयोग)	30 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108	एच ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	डिलिंग क्लर्क / स्वास्थ्य निरीक्षक / सफाई निरीक्षक / स्वास्थ्य अधिकारी	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108	आई अनिशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र।	07 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी / जोन आयुक्त लेखाकार / संबंधित लिपिक / कैशियर नगर परिषद स्तर पर अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय सहायक	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

269(6)

	108 जे	पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना। स्लिन्थ लेवल तक निमोन के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानदिव्र जारी किये जाना कम्पलीशन / ओवरफ्लॉर्सी सर्टिफिकेट हेतु)	7 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्पलीशन / ओवरफ्लॉर्सी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	108 के	लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	108 एल	नगरीय विकास कर जमा करना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	108 एम	सीवर कनेक्शन जारी करना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी/(अभियंता) अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर परिषद स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर पालिका स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 गें विद्यमान क्रम संख्या 128 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128ए एवं 128बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

			(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं समी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (v) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में व्याज अनुदान का वितरण (vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण	पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।				मुख्य सचिव
					सहायक आयुक्त/ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	उप आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	
128	बी	(1) भूमि आवंटन के लिये अ. लाटरी के तहत ब.पहले आओ पहले पाओ के तहत सं. पसंद के अनुसार (2) जल कनेक्शन हेतु (3) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु (4) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 90 कार्य दिवस 20 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 8 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको कमेटी द्वारा जिसके सदस्य है, प्रबन्ध निदेशक, रीको, प्रबन्ध निदेशक, आर.एफ.सी., आयुक्त, उद्योग एवं आयुक्त, बीप सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	— — — — — —	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको अध्यक्ष, रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको रीको के निदेशकों के मण्डल की इन्फ्रास्ट्रक्चर डबलपर्मेट कमेटी प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको	

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 एवं 25 एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

24	सहका रिता विभाग	146	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण करना।	पूर्व पत्रादि/ ऑनलाईन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	रजिस्ट्रार, संस्थाएं, संबंधित इकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं में पदस्थापित तकनीकी सहायक /निरीक्षक, जिसे की रजिस्ट्रार, संस्थाएं, द्वारा इस हेतु आवेदित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (संबंधित खण्ड)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राजस्थान जयपुर	तकनीकी कारणों यथा—सर्वे डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी।
		147	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर—भीतर	उप रजिस्ट्रार, संबंधित इकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय उप रजिस्ट्रार, इकाई में पदस्थापित तकनीकी सहायक/निरी क्षक, जिसे कि उप रजिस्ट्रार, इकाई द्वारा इस हेतु आवेदित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव	
		148	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर—भीतर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संबंधित खण्ड, सहकारिता विभाग	कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड में पदस्थापित तकनीकी सहायक/निरी क्षक, जिसे कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड द्वारा इस हेतु आवेदित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव	
		149	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर—भीतर	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम), सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव	राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण	
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	150	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
		151	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

				क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
152	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	शुप्र प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण		
153	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	शुप्र प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण		
154	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	120 दिन	सदस्य सचिव	शुप्र प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण		
				क्षेत्रीय अधिकारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण		

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफ़ोन: 0141-2222403, ईमेल: dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/ATR_Timelines()/17/276 **दिनांक: 17.10.17**


-परिपत्र:-

राज्य के नगरीय निकायों द्वारा किये जाने वाले आमजन से जुड़े विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निस्तारण एवं राज्य में Ease of Doing Business के तहत Business Reforms Action Plan, 2017 के बिन्दुओं की पालना हेतु अधिकतम समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

S.No.	Activity	Timelines (Maximum)
1.	Conversion of Land use (Agriculture to Non-Agriculture in Urban Area) under Raj. Land Revenue Rules, 2012	60 Days
2.	Change of Land use under Rajasthan Urban Areas	60 Days
3.	Construction Permission as per prevailing Byelaws	
	Plot Area Upto 500 Sq. Mtr. (Residential Use)	15 Days
	Plot Area Upto 225 Sq. Mtr. (Commercial Use)	
	Plot Area Upto 500 Sq. Mtr. (Institutional Use)	
	More than above limits upto Plot Area 1000 Sq. Mtr.	21 Days
	More than 1000 Sq. Mtr.	30 Days
	Inspection at Plinth Level (if required)	07 Days
	Completion /Occupany Certificate	08 Days
4.	Layout Plan Approval as per Rajasthan Township Policy, 2010	45 Days
5.	Allotment of Land for various purposes in Urban Areas under "Land Allotment Policy, 2015"	45 Days
6.	Approval of Sub-division and Reconstitution of Plots under "The Rajasthan Urban Areas (Sub-Divisions Reconstitutions and Improvement of Plots) Rules, 2010	30 Days
7.	Issuance of Lease Deed/Patta	15 Days
8.	Issuance of Lease Money deposit & Lease Mukti Certificate	07 Days
9.	Issuance of Name Transfer Letter	07 Days

10.	NOC from Fire Department	07 Days
11.	Issuance of Trade License under Municipal Act.	07 Act
12.	UD Tax Deposit	03 Days
13.	Approval of Sewer Connection	03 Days

समस्त नगरीय निकायों को एतत्‌द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरणों का उक्त समय सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जावें।




(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.59 / एसटीपी / डीएलबी / ATR_Timelines() / 17/2176 दिनांक : 17.10.17

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, Co-ordination, Planning Department.
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
7. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
10. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. श्री डी.के. जांगिड़ नोडल ऑफिसर, Singal window Clearance System, DLB को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक